न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 55/2023 खाद्य सुरक्षा कानून

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. गोपी सिंह पुत्र सांवल सिंह राजपूत, मैसर्स – जी एस ट्रैडिंग कम्पनी, महावीर मार्केट, बाजार नं. 02, भीलवाड़ा. 2. गोपाल सिंह राठौड़ पुत्र गोपी सिंह राठौड़, मैसर्स– जी एस ट्रैडिंग कम्पनी 3. M/S – Ganga Bishan Rajendra 43 , Opp Patwar Ghar, Ajmeri Gate, Beawar 4. Rajendra Agarwal s/o Ganga Bishan Agarwal M/S Ganga Bishan Rajendra 43, Opp Patwar Ghar, Ajmeri Gate, Beawar
– प्रार्थी		––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित ।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 12.10.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी गोपी सिंह पुत्र सांवल सिंह राजपूत, फर्म जी एस ट्रैडिंग कम्पनी,महावीर मार्केट,बाजार नं.02, भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand) व अन्य किराणा सामग्री आदि विक्रय कर रहा था। गोपी सिंह पुत्र सांवल सिंह राजपूत मैसर्स जी एस ट्रैडिंग कम्पनी,महावीर मार्केट,बाजार नं.02, भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता आम जनता को विक्रय बाबत् मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand) के 1–1 किलोग्राम के 10–12 पैकिटस में रखा हुआ था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी गोपी सिंह पुत्र सांवल सिंह राजपूत मैसर्स जी एस ट्रैडिंग कम्पनी,महावीर मार्केट,बाजार नं.02, जिला भीलवाड़ा द्वारा मिसब्राण्डेड मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 19.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 05.10.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वंय उपस्थित।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand) नमूना एक्स–1533 में Use By /Expiry – Absent. Contravention of Regulations No.5.(10)(a) of Food Safety and standards (Labelling and Display) Regulations,2020,Chapter-2 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका ज़ुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./172/एक्ट/2022/199 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना सं0 एक्स–1533 **मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand)** मिसब्राण्डेड होना पाया गया। **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand) नमूना एक्स–1533 में Use By /Expiry – Absent. Contravention of Regulations**

GM

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

No.5.(10)(a) of Food Safety and standards (Labelling and Display) Regulations,2020,Chapter-2. इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and standards (Labelling and Display) Regulations,2020 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand) का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगणों द्वारा मिसब्राण्डेड **मिर्च पाउडर (GBR Marka 11111 Brand)** का विकय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 व 02 पर 5,000/–रूपये एवं विपक्षी संख्या 03 व 04 पर 6,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2. गोपी सिंह पुत्र सांवल सिंह राजपूत, मैसर्स – जी एस ट्रैडिंग कम्पनी महावीर मार्केट , बाजार नं. 02, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

3. गोपाल सिंह राठौड़ पुत्र गोपी सिंह राठौड़, मैसर्स– जी एस ट्रैडिंग कम्पनी

4. Rajendra Agarwal s/o Ganga Bishan Agarwal M/S Ganga Bishan Rajendra 43, Opp Patwar Ghar, Ajmeri Gate, Beawar को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)